पिछड़े जिलों की ग्राम पंचयातों को टेलीफोन कनेक्शन का दिया जाना

6153. **श्री अंनतराय देवशंकर दवेः**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के पिछड़े जिलों में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गुजरात में इस संबंध में जिला-वार क्या-क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 के उद्देश्यों में 1997 तक सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना है और इस संबंध में दूरसंचार विभाग के प्रयासों को संपूरित करने के लिये निजी क्षेत्र की सहायाता प्राप्त की जा रही है। तथापि, देश के पिछड़े जिलों की ग्राम पंचायतों के लिये अलग से कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ग) और (घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, *प्रश्न नहीं उठता।*

प्रदूषण नियंत्रण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व

6154. **श्री रामजीलालः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यावरण के बचाव और प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से इस वर्ष कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में देश का प्रतिनिधित्व किया गया था; यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां उठाए गये मुद्दों को क्रियान्वित किया है;

(ख) विश्व बैंक तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों से पर्यावरण के क्षेत्र में प्राप्त सहायता का सरकार द्वारा किस तरह उपयोग किया गया है; और

(ग) सरकार ने प्रदूषित हो रहे पर्यावरण में सुधार लाने के लिये वर्ष 1994-95 में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को किन मानदंडों के आधार पर उपर्युक्त सहायता वितरित की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 1995 के दौरान भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की पहली बैठक, सतत विकास आयोग के तीसरे अधिवेशन, ओजोन को क्षय करने वाले पदार्थों को समाप्त करने संबंधी मान्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित बैठकों आदि सहित पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अनेक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में प्रतिनिधित्व किया।

(ख) और (ग) भारत विश्व पर्यावरण सुविधा की कार्यकारी परिषद् का प्रतिनिधि है। वर्ष 1994-97 की अवधि के लिये विश्व पर्यावरण सुविधा में अनुमानतः 2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि है और इसके द्वारा जैव विविधता संरक्षण, विश्व के तापमान में वृद्धि को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय जल की सुरक्षा और विकासशील देशों में भूमि अवक्रमण को रोकने की समस्याओं का समाधान किया जाता है। विश्व पर्यावरण सुविधा ने अपने प्रायोगिक चरण में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा की बचत के क्षेत्रों में भारत के लिये जांच परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। माण्ट्रियल प्रोटोकाल के अनुसरण में स्थापित मांट्रियल निधि ने ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिये भारत को 30 परियोजनाओं के लिये निधिकरण की मंजूरी दे दी है। प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिये एक बड़ी विश्व बैंक परियोजना 1991 से शुरू की गई है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सुदृढ़ीकरण और प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिये देश भर की निजी क्षेत्र की यूनिटों को सहायता देने की व्यवस्था है। इस परियोजना के बाद एक द्वितीय विश्व बैंक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना शुरू की गई जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की जरूरतों को पूरा करती है। चूंकि विश्व पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने और प्रदूषण निवारण के लिये वित्तपोषित परियोजनाओं का स्वरूप क्षेत्रीय किस्म का है, इसलिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधियों के आवंटन के लिये मानदंड निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

"पेड़ लगाया जाना"

6155. **श्री रामजी लालः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने 22 अप्रैल, 1995 को "अर्थ डे" मनाते हुये देश के पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने के

लिये पिछले वर्ष कितने पड़े लगाए और इस वर्ष कि, पेड़ लगाने का लक्ष्य है और क्या पेड़ों के संरक्षण के लिये प्रत्येक राज्य में पेड़-बचाव टीमें बनाई गई हैं;

(ख) "रियो सम्मेलन (1992)" में लिये गये निर्णयों के अनुसार वातावरण को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाहीकी गई है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे सम्मेलनों तथा "वन महोत्सव" को प्रोत्साहित करने के लिये इस वर्ष सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक भी बुलाई है, यदि नहीं, तो ऐसी बैठक कब तक बुलाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकारों तथा संघ प्रदेशों के प्रशासनों ने वर्ष 1994-95 के दौरान निजी भूमि पर रोपण हेतु 10367.51 लाख पौध का वितरण किया तथा वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि के 9,45,366.71 हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया। वर्ष 1995-96 के लिये निजी भूमि पर रोपण हेतु पौध वितरण तथा वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि के शामिल किये जाने वाले क्षेत्र के अंतिम लक्ष्यशः 13293.61 लाख पौध तथा 11,34,452 हैक्टेयर है।

(ख) देश में पर्यावरण के सुधार के लिये रियो-सम्मेलन (1992) के पश्चात् अनेक पहलें की जा चुकी हैं। इनमें वनीकरण कार्यकलाप तथा वातावरण में प्रदूषण निवारण उपाय शामिल हैं। इस संबंध में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं।

1. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों के लिये उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किये जा चुके हैं।

2. उद्योगों को निर्देश दिये गये हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण लगाएं। इसमें चूक करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

3. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिये केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत् पेट्रोल तथा डीजल दोनों से चलने वाले वाहनों के लिये उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किये गये हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम जोकि अप्रैल, 1996 में लागू होगा, के तहत् वाहन उत्सर्जन के लिये अधिक कड़े मानदंड अधिसूचित किये गये है।

4. मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत् सभी वाहनों के लिये उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये है।

5. उत्प्रेरक परिवर्तक उपकरण लगी कारों में इस्तेमाल किये जाने के लिये बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास चार महानगरों में 1.4.1995 से सीसा-रहित पेट्रोल शुरू किया गया है।

6. उद्योगों के स्थल-चयन तथा संचालन के लिये पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं।

7. अवक्रमित वन तथा बनेतर क्षेत्रों का वनीकरण।

(ग) जब भी अपेक्षित हो, देश में स्थानीय स्तर पर वन महोत्सवों का आयोजन किया जाता है तथा वृक्ष-बचाव दलों आदि का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार समय-समय पर दिशानिर्देश भी जारी करती है। ऐसे सम्मेलनों तथा वन महोत्सवों को प्रोत्साहन देने के वास्ते मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक इस वर्ष नहीं बुलाई गई है। तथापि राज्यों के वन मंत्रियों की यदा-कदा बैठकें बुलाई जाती हैं, जिनमें वनीकरण तथा वृक्षारोपण रहित वानिकी से संबंधति अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

Confiscation of Animal Skins

6156. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the Indian Express of 29th January, 1995 under the caption, "Over 1000 rare animal skins confiscated;

(b) if so, what are the facts in this regard;

(c) what is the approximate cost of the skins conifcated; what are the particulars of the persons apprehended and what action has been taken or proposed to b# taken against therm;

(d) how many of such hauls of pre cious animal skins were made during the